पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 18 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 01.05.2015, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010010 मद् में क्रमशः 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) रूपये का प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 694/आ0प्र0 दिनांक 09.06.15 द्वारा अंचलाधिकारी, अथमलगोला को उपावंटित किया जा चुका है।

पुनः विशेष सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 44(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 17.06.2015 द्वारा उक्त शीर्ष में 1.00 (एक लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या–39) (विषय शीर्ष–31 06 साहायक अनुदान वेतनादि के अलावा)

(लाख रूप्ये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	**1.50**	**00.00**	**1.50**
02.	अंचलाधिकारी, धनरूआ	**00.00**	**1.00**	**1.00**
	कुल उपावंटित राशि :–	**1.50**	**1.00**	**2.50**

1. यह आवंटन स्वीकृत अभिलेख सं0– 09/13–14 स्व0 किरण देवी उर्फ बटोरनी देवी को हुयी बज्रपात से मृत्यु के अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु उपावंटित किया जा रहा है।
2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष – 02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष – 101, आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष – 0010– **वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010010** मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में वज्रपात से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद् में किया जायेगा।
4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल

महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति/उपयोगिता प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-06/14-15 780 /आ०प्र०, दिनांक 11/07/15

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, धनरुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10/7

जिला पदाधिकारी,
पटना।